भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4838

उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

सुगम्य भारत अभियान

4838. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी भवनों को नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पूर्ण रूप से सुगम बनाने के लिए 2015 में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितने सरकारी भवनों का नि:शक्त व्यक्तियों के अनुकूल सुविधाओं के साथ राज्यवार और वर्षवार नवीनीकरण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने जून 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और राज्य की राजधानियों में कम से कम पचास प्रतिशत सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संशोधित समय-सीमा क्या है;और

(ङ) नवीनीकरण कार्य में सार्वजनिक सुगम्यता संबंधी सुसंगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सुगम्य भारत अभियान (ए आई सी) दिसंबर 2015 मेंनिर्मित वातावरण, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थिति की प्रणालियों में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता बनाने के लिए शुरू किया गया था। चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन" राज्यसूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जा रहा है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 1748 सरकारी भवनों को सुगम्य बनाया गया है जिनमें 1100 केन्द्र सरकार के भवन और 648 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के भवन शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 के बाद एआईसी को सिपडा के तहत "बाधामुक्त वातावरण के निर्माण की योजना (सीबीएफई)" नामक उप-योजना में मिला दिया गया है ताकि चल रहे सुगम्यता

प्रयासों, जिसमें मौजूदा सरकारी भवनों और वेबसाइटों में बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों हेतु अनुदान केवल मांग के आधार पर जारी किए जाते हैं, की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ): सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र मौजूद हैं:

i. सुगम्य भारत ऐप: दिनांक 2 मार्च, 2021 को शुरू किया गया, यह क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को उपयुक्त अधिकारियों द्वारा समाधान के लिए भवनों, परिवहन और आईसीटी सिस्टम में सुगम्यता संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

ii. स्क्रीनिंग कमेटी: संयुक्त सचिव (सिपडा), निदेशक/उपसचिव (सिपडा) और दिव्यांगता क्षेत्र के दो विशेषज्ञों की एक समिति बाधामुक्त एवं सुगम्य भारत घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने के प्रस्तावों की जांच करती है।

iii पैनलबद्ध सुगम्यता ऑडिटर्स: विभाग द्वारा निर्मित वातावरण के लिए 59 सुगम्यता ऑडिटर्स को पैनल में शामिल किया गया है, जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना की सुगम्यता का पेशेवर मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना के सुगम्यता ऑडिट करने के लिए राज्य स्तर पर उपयोग हेतु 10 वेब सुगम्यता ऑडिटर्स को भी पैनल में शामिल किया गया है।

iv. नियमित अनुवर्ती कार्रवाई: विभाग समग्र योजना सिपडा के बाधामुक्त निर्माण (सीबीएफई)/सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) घटक के अंतर्गत जीआईए जारी करने में तेजी लाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

*****

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआईसी के तहत सुगम्य बनाएगए भवन	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	25	1436.33
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1523.69
3	असम	12	1320.33
4	बिहार	21	925.14
5	छत्तीसगढ	21	2768.58
6	गोवा	0	543.83
7	गुजरात	24	592.31
8	हरियाणा	3	1598.36
9	हिमाचल प्रदेश	0	439.46
10	जम्मू और कश्मीर	7	1995.29
11	झारखंड	0	1166.85
12	कर्नाटक	0	2708.64
13	केरल	0	429.98
14	मध्य प्रदेश	0	3047.56
15	महाराष्ट्र	135	2490.76
16	मणिपुर	0	1587.75
17	मेघालय	17	3367.52
18	मिजोरम	22	715.71
19	नागालैंड	10	923.86
20	ओडिशा	26	1975.46
21	पंजाब	2	1981.75
22	राजस्थान	78	3813
23	सिक्किम	30	578.13
24	तमिलनाडु	15	4608.93
25	तेलंगाना	7	919.23
26	त्रिपुरा	0	2625.04
27	उत्तराखंड	9	538.5
28	उत्तर प्रदेश	89	4907
29	पश्चिम बंगाल	21	1692.23
30	अंडमान औरनिकोबार द्वीप समूह	23	1080.9
31	चंडीगढ़	39	415.38
32	दिल्ली	12	1393.77
33	पुदुचेरी	0	273.15
कुल		**648**	**56384.42**

****